

14.02.22

उपखण्ड आगरेवा हंडे

प्राथमिकी प्रमाण उपस्थित। प्राथमिकी का प्राथमिकी  
पत्रा स्वीकार किया जाकर अदेशस्त आराजी  
व्यवहारे मोगना सिवाना के अक्षर अक्षर  
1713/395 स्कवा 0.1903 के अक्षर किस्म  
जी.मु. आराजीय के सीमाक्षर आगत तदक्षीपदार  
सिवाना को अक्षर निरुद्ध किया जागाई  
अक्षर अक्षर अक्षर 5001 - प्राथमिकी पर  
अदा अक्षर। अक्षर की पात्रा अक्षर अक्षर  
सिवाना के अक्षर जारी हो। उपखण्ड अक्षर  
अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाड़मेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्र. वाचक / 2022 / 272

दिनांक : - 15.02.2022

प्रार्थी

वीरमचन्द्र पुत्र गेबीचन्द्र जाति जैन ओसवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला  
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141A, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम


राजस्व आवेदन सं...148 / 2021

दिनांक :- 14.02.2022

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1713/365 रकबा 0.1903 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाड़मेर)  
सिवाना


दिनांक :- 15.02.22

क्रमांक: वाचक / 2022 / 273 - 276

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार सिवाना
  2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
  3. हल्का पटवारी सिवाना को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
- वीरमचन्द्र पुत्र गेबीचन्द्र जाति जैन ओसवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला  
बाड़मेर



  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाड़मेर)  
सिवाना